

### भाग 111

संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।  
(प्रकरण क्रमांक FP/MP/MIN/152431/2022)

1	स्थल जहाँ की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/ नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	जी नहीं।
2	क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अधिमत से सहमत है। यदि नहीं तो उसका कारण दें।	सहमत है।
3	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अधिमत।	ललित पंचाल प्रोपाइटर स्वामी नित्यानंद महाराज स्टोन हाउस 975/76 सेक्टर -13 हुददा भिवानी हरियाणा द्वारा खनिज पत्थर 2/1) रकवा 4.46 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित हो रही है। वनमण्डलाधिकारी रीवा की अनुशंसा अनुसार उक्त वनभूमि कक्ष कमांक पी.एफ.-334 वन विकास निगम रीवा सीधी परियोजना मण्डल को हस्तांतरित है, तथा वनभूमि के आस-पास राजस्व भूमि में पूर्व से खदान संचालित है।

वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल रीवा द्वारा प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 (2) के प्रावधानों के तहत लालित पंचाल प्रोपाइटर स्वामी नित्यानंद महाराज स्टोन हाउस 975/76 सेक्टर -13 हुददा भिवानी हरियाणा को खनिज पत्थर उत्थनन हेतु कक्ष कमांक पी.एफ-334 (शाम हरई गुजरान, खसरा कमांक 2/1) की रकवा 4.46 हेक्टेयर वन भूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई है।

वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल रीवा द्वारा भी वनमण्डल रीवा के पश्चिम पंचाल प्रोपाइटर स्वामी नित्यानंद महाराज द्वारा भी वनमण्डल रीवा के आधार पर इस कार्यालय द्वारा भी वनमण्डल रीवा के पश्चिम वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल रीवा द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर इस कार्यालय द्वारा भी वनमण्डल रीवा के पश्चिम पंचाल प्रोपाइटर स्वामी नित्यानंद महाराज स्टोन हाउस 975/76 सेक्टर -13 हुददा भिवानी हरियाणा को अनुशंसा की जाती है।

तिथि : 10 / 11 / 2022  
स्थान: रीवा

(राजेश कुमार राय )  
वन संरक्षक  
रीवा वृत्त रीवा (म.प्र.)